न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मा नम्बर 38/2022 दायर दिनांक–08.04.2022

1. शतानी देवी पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी जाखल हाल आबाद पत्नी नेमीचंद जाट निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदिका

– :: बनाम ::–

1. धन्नाराम पुत्र पालाराम
2. रूकमणी देवी उर्फ रूकमा देवी पत्नि पालाराम जाट
3. बबीता पत्नी बंशीधर
4. पिंकी पुत्री बंशीधर
5. नीलम पुत्री बंशीधर
6. प्रवीण पुत्र बंशीधर समस्त जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़।
7. उप पंजीयक, नवलगढ
8. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य
वकील अनावेदक :– श्री विप्लव पंडित

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 24.04.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–आवेदिका व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 एक ही पूर्वज नरसाराम की संतान है। नरसाराम आवेदिका का दादा थे। आवेदिका व अनावेदकगंण संख्या 01 लगायत 06 की वंशावली प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में दर्ज अनुसार है। अनावेदक संख्या 1 आवेदिका का सगा भाई है। अनोवदिका संख्या 2 आवेदिका की माता है। अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 6 आवेदिका के सगे भाई के वंशज है।

ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 223, 226, 227 कुल किता 3 कुल रकबा 4.40 है0 स्थित है। सम्वत् 2050–2062 की जमाबंदी में उपरोक्त वर्णित भूमि के खातेदार आवेदिका के पिता पालाराम तथा चाचा ज्ञानाराम थे। इनकी मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तकरण संख्या 670 दिनांक 30.07.2004 अनावेदक संख्या 1 धन्नाराम तथा आवेदिका के मृतक भाई बंशीधर व आवेदिका की माता रूकमणी देवी ने बाला बाला अपने नाम से दर्ज करवा लिया कायदे से आवेदिका का भी नाम होना चाहिए था क्योंकि पालाराम तथा ज्ञानाराम की मृत्यु के बाद आवेदिका भी धन्नाराम बंशीधर तथा रूकमणी के बराबर हिस्सेदार थी परन्तु आवेदिका का हक हिस्सा हड़पने के लिए इन्होंने आवेदिका का नाम नामांतकरण में नही दिलवाया और अपने अकेले के नाम से विरासतन नामांतकरण दर्ज करवा लिया। नामांतकरण भरने के समय आवेदिका को सूचना नही दी गयी तथा सुनवाई का मौका भी नही दिया तथा आवेदिका को उसके हकों से व जमीन से वंचित करने के लिए धन्नाराम वगैरह ने अकेले ही गैर कानूनीरूप से नामान्तकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया। यह नामान्तकरण आवेदिका के हक [illegible] बेअसर है। आवेदिका उपरोक्त वर्णित पैत्रिक भूमि में अपने हक अधिकारों की हिस्से की घोषि[illegible]रवाके [illegible]ने 1/4 हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने क लिए दावा तथा प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त 1 [illegible] आवेदिका का कब्जा काश्त चला आ रहा है। कभी स्वयं काश्त करती है कभी अनावेदकगण [illegible] आधी पांती में काश्त करवाती है। अनावेदक सं0 1 ने न्यायालय में एक दावा धन्नाराम बनाम बंशीधर के नाम से कर रखा है जिसकी जानकारी आवेदिका को फरवरी माह में हुई तब आवेदिका ने पक्षक[illegible] के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु आवेदिका का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नही होने से आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया तथा न्यायालय ने अपने आदेश मे लिखा है यदि आवेदिका का विवादित भूमि में कोई हित निहित हो तो स्वयं की घोषणा का वाद ला सकती है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बेचान अन्य को करने की धमकी दे रहे है। यदि अनावेदकगण विवादित भूमि को विक्रय पत्र या अन्य कोई ट्रांसफर डीड अन्य किसी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:35:52 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

करवा देंगे तो आवेदिका को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नही है। अतः अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि आवेदिका के 1/4 हिस्से की भूमि की काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे। आवेदिका का प्रथम दृष्ट्या मामला है और सुविधा का संतुलन भी आवेदिका के पक्ष में है इसलिए अनावेकगण को विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण की ओर से वकील श्री विप्लव पंडित उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– आवेदिका ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वंशावली गलत दर्ज की है। उक्त भूमि आवेदिका की पैत्रिक भूमि नही है क्योंकि नरसाराम के जीवनकाल में आवेदिका का जन्म भी नही हुआ था इसलिए उक्त भूमि पैत्रिक होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जहां तक ज्ञानाराम का प्रश्न है आवेदिका ज्ञानाराम की उत्तराधिकारी नही है उक्त मद में आवेदिका का दर्ज कथन है कि उनकी मृत्यु के बाद विरासतन नामांतरकरण संख्या 670 दिनांक 30.07.2004 वादिया के हक अधिकारों पर बेअसर है एक साथ व अलग अलग रूप से अस्वीकार है। आवेदिका ने प्रार्थना पत्र में कही भी दर्ज नही किया है कि उसका हक व हिस्सा कैसे है व कौनसे कानून के तहत हिस्सा क्लेम कर रही है मात्र लिख देने मात्र से अधिकार अर्जित नही होते है। आवेदिका को 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकार नही है। ना ही राजस्व रिकॉर्ड में आवेदिका का नाम दर्ज है जबकि विभाजन दर्ज खातेदारों के मध्य होना है। इसलिए बिना खातेदारी के आवेदिका को विभाजन करवाने का कोई अधिकार नही है। आवेदिका का दर्ज कथन कि आवेदिका को 1/4 हिस्सा उसके पिता व चाचा ने अपने जीवनकाल में ही दे दिया था गलत होने से अस्वीकार है। आवदिका चाचा की उत्तराधिकारी ही नही है उक्त कथन हस्यास्पद है। उक्त मद में आवेदिका ने काश्त करने का कथन किया है उक्त कथन गलत है आवेदिका का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। वाद की विषय वस्तु के संबंध में न्यायालय में एक वाद उनवानी धन्नाराम बनाम बंशीधर विचाराधीन है जो न्यायालय द्वारा डिक्री किया जा चुका है जिसमे तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि आवेदिका का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड धन्नाराम, बंशीधर व रूकमणी देवी के नाम से अभिलिखित है तथा 1/3–1/3 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। आवेदिका ने बिना अधिकार के अभिलिखित खातेदार के विरूद्व बेदखली तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि पूर्व में नरसाराम के नाम दर्ज थी नरसाराम के दो पुत्र पालाराम व ज्ञानाराम व पुत्रियां पैदा हुई नरसाराम के फौत होने पर इन्तकाल पालाराम व ज्ञानाराम के नाम से तस्दीक किया गया पुत्रियों के नाम से नामान्तकरण नही भरा गया। इसी प्रकार ज्ञानाराम के फौत होने पर उसकी संपति पालाराम को मिली पालाराम के फौत होने पर फौतगी का नामान्तकरण उसकी विधवा रूकमणी देवी व पुत्र धन्नाराम व बंशीधर के नाम तस्दीक किया गया अर्थात आवेदिका के नाम खातेदारी दर्ज नही हुई क्योंकि जाट समाज के तत्कालीन कानून व सामाजिक व्यवस्था व परम्परा, रिति रिवाजों प्रथा व रूडी के अनुसार पुत्रियों को अपने पिता की संपति में कोई अधिकार नही था भाई अपनी बहनों के भात छुछक आदि पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न करते थे तथा बहिनों को अपनी सुसराल की संपति में ही अधिकार होता है। मृत खातेदार की संपति में पुत्रों व विधवा को ही अधिकार प्राप्त होते है इस कारण नरसाराम के पश्चात धन्नाराम, बंशीधर व रूकमणी को अधिकार मिले पुत्रियों को अधिकार नही मिले। नरसाराम के कुटुम्ब पर व्यक्तिगत कानून, सविय विधि लागू होने की तथा तीन पीढियों से विधवा व पुत्रों को अधिकार मिलने की निरन्तरता को साबित करती है इसी कारण आवेदिका के नाम पालाराम की फौतगी पर इंतकाल में नाम दज्र नही हुआ। आवेदिका ने प्रार्थना पत्र में कही भी दर्ज नही किया है कि किसी कानून की तर्ज पर तथाकथित अधिकारों की घोषणा करवानी चाहती है। आवेदिका ने वंशावली [illegible] उसमें पालाराम की सहदायिक सदस्य होने का अभिकथन किया है। उपरोक्त दावा आवेदिका [illegible] हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के आधार पर पुत्र के बराबर समान अधिकार के लिए स्वयं [illegible] संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायिकी की हैसियत मानकर पेश किया है इसी आधार पर [illegible] 1/4 हिस्सा मानकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया है [illegible] स्वीकृत तथ्य है कि पालाराम की मृत्यु सन् 2005 से पूर्व अर्थात हिदूं उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पूर्व ही हो चुकी थी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पिता की पैत्रिक संपति में पुत्री तभी सहदायिकी सदस्य थी जब दिनांक 09.09.2005 को पिता जीवित हो। संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार उक्त दिनांक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:35:52 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्री को सहदायिकी सदस्य नही माना जायेगा तथा इस आधार पर उसके सहदायिक अधिकार उत्पन्न ही होंगे। पालाराम की मृत्यु संशोधन अधिनियम 2005 से पूर्व हो चुकी थी जो कि विरासतन नामांतकरण संख्या 670 दिनांक 30.04.2004 से प्रमाणित है। इसी कारण आवेदिका का हिस्सा पालाराम की संपति में नही होने से नामान्तकरण कानूनन दर्ज नही किया गया। पालाराम की फौतगी का नामांतकरण दिनांक 30.07.2004 दिनांक 20.12.2004 से पूर्व खोला गया था जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत चुनौती नहीदी जा सकती है। इसलिए आवेदिका का प्रार्थना पत्र विधि वर्जित होने होने से खारिज होने योग्य है। ना ही आवेदिका को वादकारण पैदा हुआ है आवेदिका ने वाद 2022 मे पेश किया है इसलिए आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। आवेदिका का विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दज नही है ना ही आवेदिका का कब्जा है इसलिए आवेदिका का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में है ना ही किसी प्रकार की क्षति आवेदिका को है कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार कब्जाधारक के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

अतिरिक्त उत्तर

उनवानी वाद धन्नाराम बनाम बंशीधर विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की जा चुकी है आवेदिका ने न्यायालय की डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत नही की है बिना डिक्री को चुनौती दिये उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। नरसाराम के जीवन काल में आवेदिका का जन्म भी नही हुआ था इसलिए विवादित भूमि पैत्रिक संपति नही है। आवेदिका कौनसे कानून के तहत हिस्सा क्लेम कर रही है। पात्र लिख देने से अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि आवेदिका का चाचा नाऔलाद फौत हो गया था। पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों भाईयों की संपति आवेदिका के दोनों भाइयों ने अपने नाम करवा ली। आवेदिका का उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा है जिसमें किसी प्रकार की अनावेदकगण बाधा पैदा नही करें। आवेदिका का विभाजन तथा घोषणा का दावा है। अनावेदकगण उक्त भूमि के गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि का विक्रय कर सकते है। अतः अनावेदकगण को भूमि के मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे। जबाब बहस में वकील अनावेदक ने कथन किया कि आवेदिका का उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है। आवेदिका के पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई थी। आवेदिका न तो रिकॉर्डेड खातेदार है ना ही उसका कब्जा काश्त है। इसी भूमि के संबंध में न्यायालय में दूसरा दावा चल रहा है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है जिसे आवेदिका ने किसी अपर न्यायालय में चुनौती नही दी है। आवेदिका चाचा की संपति में किसी प्रकार का अधिकार नही रखती है। आवेदिका ने लोकसेवक को पक्षकार नही बनाया है। आवेदिका का किसी भी प्रकार से सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति पक्ष में नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

आवेदकगण का मुख्य कथन है कि विवादग्रस्त भूमि आवेदिका व अनावेदकगण की पैतृक संपति है जिसमें आवेदिका अपने हिस्से की घोषणा व विभाजन करवाना चाहती है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहती है तथा अनावेदकगण को तब तक दावा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना चाहती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका ने उक्त विवादग्रस्त भूमि के पैत्रिक संपति होने तथा इस पैतृक संपति में उसका हक हिस्सा होने का कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नही है जो यह प्रमाणित करे कि उक्त भूमि पैत्रिक संपति है। आवेदिका को यह साबित करना आवश्यक है कि आवेदकगण व अनावेदकगण का संयुक्त परिवार था। उक्त विवादग्रस्त भूमि के अनावेदकगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदिका ने कथन किया है कि वे उक्त भूमि पर काबिज काश्त है जबकि उक्त संपूर्ण भूमि में किस हिस्से पर कौन काबिज काश्त है उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:35:52 IST
Reason: SelfAttested

उप.जि.ई.एम.(फा.ट्रै.)
वल्लभ

संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज/बंटवारा की प्रति मौजूद नही। इन तमाम तथ्यों व परिस्थिति व पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075–78 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण की खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड है तथा वे रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु आवेदकगण के विरूद्ध तय किये जाते है।

अपूरणीय क्षति :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदिका के पक्ष में नही होने से अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत नही होती है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा दिनांक 08.04.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:35:52 IST
Reason: SelfAttested